फा.सं. 4-181/2017-18/रा.म.आ.
राष्ट्रीय महिला आयोग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली- 110025

तारीख: 3 जुलाई, 2017

विषय: आयोग की 174वीं बैठक के कार्यवृत्त- के संबंध में

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के ए.बी.-3, पंडारा रोड, नई दिल्ली- 110003 में अवस्थित शिविर कार्यालय में तारीख 22 जून, 2017 को 3:00 बजे अपराह्न में आयोजित की गई आयोग की 174वीं बैठक का कार्यवृत्त, जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

2. यह अनुरोध है कि यदि उपर्युक्त बैठक और कार्यसूची मदों के संबंध में कोई विनिश्चय किया गया है और उसकी बाबत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट है, यदि कोई हो तो उसे आयोग की आगामी बैठक के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

(वी.वी.बी. राजू)
उप सचिव

सेवा में:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव
2. सदस्य(रेखा शर्मा), सदस्य(सुषमा साहू), सदस्य (आलोक रावत) के निजी सचिव
3. सदस्य सचिव के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
5. उप सचिव के निजी सहायक
6. अवर सचिव (आर.सी.)/वेतन और लेखा अधिकारी

प्रति: ज्येष्ठ प्रोग्रामर राष्ट्रीय महिला आयोग: लोकल सर्वर में इसे अपलॉड करने के लिए

राष्ट्रीय महिला आयोग

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के ए.बी.-3 पंडारा रोड, नई दिल्ली- 110003 में अवस्थित शिविर कार्यालय में तारीख 22 जून, 2017 को 3:00 बजे अपराह्न में आयोजित की गई आयोग की 174वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1. सुश्री ललिता कुमारमंगलम	अध्यक्ष
2. सुश्री रेखा शर्मा	सदस्य
3. श्री आलोक रावत	सदस्य
4. डा. सतबीर बेदी	सदस्य सचिव

बैठक में निम्नलिखित भी उपस्थित थे:-

1. श्री कुन्दल लाल शर्मा	संयुक्त सचिव
2. श्री वी.वी.बी.राजू	उप सचिव
3. श्री आर.सी. आहूजा	अवर सचिव
4. श्री राजेश कुमार आहूजा	वेतन और लेखा अधिकारी

आरंभ में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग की बैठक में उपस्थित अध्यक्ष और सभी सदस्यों का स्वागत किया ।

2. इसके पश्चात् निम्नलिखित कार्यसूची मद पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया:-

कार्यसूची मद:

तारीख 31 जनवरी, 1992 को आयोग के स्थापित होने के पश्चात् समय के विभिन्न अन्तरालों पर अस्थायी प्रास्थिति के रूप में नियुक्त किए गए दैनिक मजदूरी लिपिकों और चपरासियों तथा दैनिक मजदूरी चालकों की बाबत की जाने वाली कार्रवाई- के संबंध में ।

आयोग ने बैठक के लिए परिचालित कार्यसूची टिप्पण पर विचार किया और ब्यौरेवार विचार-परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित रूप से विनिश्चय और अनुमोदन किया :

(i) कार्यसूची टिप्पण के पैरा 11 पर प्रस्तावित विवाद्यक की बाबत, जिसका संबंध अस्थायी प्रास्थिति कार्मिकों से है, यह विनिश्चय किया गया कि सबसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई रिट याचिका से संबंधित सभी सुसंगत दस्तावेज अर्थात् उत्तर/प्रतिउत्तर/अन्य संबंधित दस्तावेज आदि, जिसके अन्तर्गत, यदि आवश्यक हो, दिल्ली उच्च न्यायालय भी शामिल है, अभिप्राप्त किए जाए। सुसंगत कागजपत्र प्राप्त होने के पश्चात् इस मामले की परीक्षा की जाए और पूर्वतम तारीख पर आयोग के समक्ष रखा जाए ।

आयोग ने यह विनिश्चय भी किया कि इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों का पारिश्रमिक, और आगे विलम्ब के किए बिना तथा उनको अनुदत्त विशेष प्रोत्साहन की कटौती करने के पश्चात्, निर्मोचित किया जाए ।

(ii) दैनिक मजदूरी लिपिकों और चपरासियों से संबंधित कार्यसूची टिप्पण के पैरा 15 पर प्रस्तावित विवाद्यक के संबंध में आयोग ने विस्तार से इस विवाद्यक पर विचार-परामर्श किया और सावधानीपूर्वक दो प्रस्तावित अनुकल्पों का निर्धारण किया अर्थात् i) कोई अतिरिक्त सूचना दिए बिना इन कार्मिकों को सेवा से कार्यमुक्त कर दिया जाए क्योंकि नवम्बर, 1998 में इन्हें पहले ही सूचना दी जा चुकी है; या ii) इन्हें एक मास की सूचना दी जाए ।

आयोग के माननीय सदस्य श्री आलोक रावत ने यह उल्लेख किया कि एक मास की सूचना के विकल्प से नैसर्गिक न्याय की अपेक्षा पूरी हो जाएगी और इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस पहलू पर ब्यौरेवार चर्चा की जानी चाहिए। माननीय सदस्य श्रीमती रेखा शर्मा ने भी इस विचार का समर्थन किया ।

ब्यौरेवार चर्चा करने के पश्चात् और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए आयोग ने तारीख 12 नवम्बर, 1998 के कार्यालय आदेशों द्वारा व्यष्टियों को पहले ही यह सूचना दे दी है कि तारीख 31 दिसम्बर, 1998 से उनकी संविदा समाप्त हो गई है और इस आदेश के विरूद्ध और अन्य बातों के साथ व्यष्टिक न्यायालय के समक्ष गए और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने तारीख 5 अक्तूबर, 2013 को

इस मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय किया, आयोग सहमत हुआ कि अतिरिक्त सूचना देने की आवश्यकता नहीं है ।

ऊपर व्यक्त किए गए मत को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने यह विनिश्चय किया कि तुरन्त प्रभाव से दैनिक मजदूरी लिपिकों और दैनिक मजदूरी चपरासियों को सेवा से कार्यमुक्त किया जाए ।

आयोग ने यह विनिश्चय भी किया कि इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों का पारिश्रमिक, और आगे विलम्ब के बिना तथा उनको अनुदत्त विशेष प्रोत्साहन की कटौती करने के पश्चात्, निर्मोचित किया जाए ।

(iii) दैनिक मजदूरी चालकों से संबंधित कार्यसूची टिप्पण के पैरा 18 पर प्रस्तावित विवाद्यक के संबंध में यह विनिश्चय किया गया कि यह मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायधीन है, चालकों की विद्यमान रिट याचिका के आधारों की व्यापक रूप से परीक्षा की जानी चाहिए और मामले की परीक्षा करने के पश्चात्, आयोग के विचार के लिए उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

आयोग ने यह विनिश्चय भी किया कि इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों का पारिश्रमिक, और आगे विलम्ब के बिना तथा उनको अनुदत्त विशेष प्रोत्साहन की कटौती करने के पश्चात्, निर्मोचित किया जाए ।

(iv) आयोग ने यह भी विनिश्चय किया कि इस विनिश्चय के ब्यौरों और की गई कार्रवाई के संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय को सुचित किया जाए।

(कार्रवाई:- प्रशासन)

अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(डा. सतबीर बेदी)
सदस्य सचिव, रा.म.आ.

(ललिता कुमारमंगलम)
अध्यक्ष, रा.म.आ.